

गूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
 (पीठासीन अधिकारी श्री सम्मोद सिंह रतनूलोक अदालत / कैम्प कोर्ट टिब्बी)

1. जसपालसिंह पुत्र उज्जवलसिंह उर्फ उज्जलसिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी तारासिंहवाली तहसील टिब्बी।
 2. अजमेरसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी तारासिंहवाली तहसील टिब्बी।
- वनाम
 उज्जवलसिंह उर्फ उज्जलसिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी तारासिंहवाली तहसील टिब्बी।
 -वादीगण
1. बलजिन्द्र कौर पुत्री उज्जवलसिंह उर्फ उज्जलसिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी तारासिंहवाली तहसील टिब्बी।
 2. कोमलप्रीत पुत्री उज्जवलसिंह उर्फ उज्जलसिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी तारासिंहवाली तहसील टिब्बी।
 3. निन्द्र कौर पत्नी गुरदीपसिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी तारासिंहवाली तहसील टिब्बी।
 4. मनदीपकौर पुत्री गुरदीपसिंह पत्नी जगतारसिंह जाति जट सिख निवासी तलवाड़ा खुर्द तहसील ऐलनावाद जिला सिरसा।
 5. जसवन्त कौर पुत्री गुरदीपसिंह पत्नी कारजसिंह जाति जट सिख निवासी खोंडावाला थेहड़ तहसील टिब्बी।
 6. हरमनकौर पुत्री गुरदीपसिंह पत्नी गुरविन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी ख्वाजा खेंडा तहसील व जिला सिरसा।

प्रकरण संख्या:-106/2018

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 27.6.2018

वादीगण की ओर से श्री हरविन्द्र सिंह एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महेश कुमार गौड़ एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.6.18 को सम्मोदसिंह रतनूलोक अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-चक नं. 8 जीजीआर के जमाबन्दी सम्वत् 2070-3 के खाता संख्या 35/24 में संयुक्त खाता में कुल 2.530 है, व इसी चक के खाता संख्या 38/118 में अंकित कुल 0.253 है, में उज्जलसिंह के नाम की 1/6 हिस्सा आराजी का वादी संख्या 1 व गुरदीपसिंह के नाम के नाम की आराजी 1/6 हिस्सा की आराजी का वादी संख्या 2 तथा चक 8 जीजीआर के खाता संख्या 12/119 में कुल 0.253 है, में से 1/2 हिस्सा में अंकित उज्जलसिंह के 1/6 हिस्सा की भूमि का वादी संख्या 1 व गुरदीपसिंह के 1/6 हिस्सा की भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नं. 8 जीजीआर के खाता संख्या 35/24, 38/118 व खाता संख्या 112/119 में से स्व. उज्जलसिंह व गुरदीपसिंह का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 27.6.18 को राजस्व लोक अदालत अमियान ग्राम पंचायत टिब्बी में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सम्मोद सिंह रतन)
 पीठासीन अधिकारी,
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे	वादी	प्रतिवादी
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	0	प्लीडर की फीस
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
6. कमिश्नर की फीस	0	आदेशिका की तामील
7. आदेशिका की तामील	0	कमिश्नर की फीस
जोड़	1000/-	जोड़